M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

नूराबाद जिला मुरैना में स्थापित सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेबल संचालन एवं पौधा उत्पादन का कार्य ठेका पद्धति के आधार पर कार्य करने हेतु

निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 6.10.2022

प्रबंधक

(उद्यान)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/हार्टि./ 2022–23/ दिनांक ....

निविदा सूचना

उद्यानिकी विभाग म.प्र. द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेबल की स्थापना का कार्य किया गया है। ऐक्सिलेंस सेंटर में विभिन्न प्रकार के सब्जी के पौधों के उत्पादन किया जाना है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के आधुनिक ग्रीन हाउस एवं नेट हाउस आदि की सुविधा सेंटर पर उपलब्ध है।

इस निगम द्वारा उद्यानिकी विभाग की ओर से निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध आवेदकों से सेंटर के संचालन रखरखाव व पौध उत्पादन हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 06-10-2022 तक अपरान्ह् 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

प्रबंधक
(उद्यान)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./ 2022–23/ दिनांक ....

विस्तृत निविदा सूचना

म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में इण्डो ईजराईल एग्रीकल्चर प्रोजेक्त (IIAP) के अंतर्गत सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना का उद्देश्य संरक्षित खेती व सिंचाई व अन्य आधुनिक उद्यानिकी तकनिकों का प्रर्दशन व जानकारी/ प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाना है। इस क्रम में इस स्थान पर संरक्षित खेती के अंतर्गत पौधों का उत्पादन भी किया जाना है (प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

सेंटर पर वर्तमान में अनुलगनक 2 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है।

सेंटर पर निविदाकार को निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाने होंगें।

(1) सेंटर में की वर्तमान स्थिती के आधार पर उसे पौध उत्पादन हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना

(2) सेंटर में पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक कोकोपिट /खाद व अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करना

(3) सेंटर में पौधों का उत्पादन

(4) सेंटर में तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाब व सुरक्षा

उपरोक्त कार्य संपादित किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से संख्यात्मक आधार* पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी दिनांक 06.10.2022 अपराह्न 2.00 बजे तक है। उपरोक्त कार्य हेतु निर्धारित संकल्प धन राशि तथा निविदा प्रपत्र का मूल्य निम्नानुसार निर्धारित है :–

निविदा प्रपत्र का मूल्य	राशि रू 10000/–	आनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर जमा की जाना है।
संकल्प धन राशि	राशि रू 200000/–	
सुरक्षा निधि	राशि रू 10,00,000/–	बैंक गारंटी के रूप में (निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाना होगी)

इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें । निविदा प्रपत्र का कय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 06.10.2022 तक अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। तकनिकी प्रस्मताव दिनांक 06.10.2022 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोला जाएगा । योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के संख्यात्मक प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

नोट– *संख्यात्मक आधार*- गुणवत्ता युक्त उत्पादित पौधों की अधिकतम मात्रा जो उद्यानिकी विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती है।*

प्रबंधक (उद्यान)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में इण्डो ईजराईल एग्रीकल्चर प्रोजेक्त (IIAP) के अंर्तगत सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 10000.00
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 16.09.2022 **को अपरान्ह् 2.00 बजे से 06.10.2022 अपरान्ह् 1.00 बजे तक**
संकल्प धन राशि (EMD)	राशि रू 200000
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 26.09.2022 अपरान्ह 4.00 बजे एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भेपाल में महाप्रबधंक (पोषण आहार) के कक्ष में होगी ।
आनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दि0 06.10.2022 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के संख्यात्मक प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय– समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

प्रबंधक (उद्यान)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

●	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
●	सेंटर	मध्यप्रदेश राज्य में जिला मुरैना में नूराबाद में स्थापित सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेबल
●	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
●	ठेकेदार	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर सेंटर के संचालन व पौधों के उत्पादन हेतु अनुबंधित किया गया हो।
●	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 6 के अनुसार
●	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 12 के अनुसार
●	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
●	प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के उद्यानिकी कक्ष के विभागाध्यक्ष
●	संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण म.प्र. के संचालक
●	सहायक संचालक उद्यान	सहायाक संचालक उद्यान मुरैना /नूरबाद
●	संयुक्त संचालक उद्यान	संयुक्त संचालक उद्यान ग्वालियर

अनुसूची–1

म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में इण्डो ईजराईल एग्रीकल्चर प्रोजेक्त (IIAP) के अंर्तगत सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल का रखरखाव व पौधों के उत्पादन हेतु आवेदन पत्र।

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय– सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल नूराबाद में पौधों के उत्पादन व रख रखाब का कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

हमारे द्वारा सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल नूराबाद में पौधों के उत्पादन व रख रखाब का कार्य करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्रं0 फैक्स क्रमांक	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर	....
7	फर्म द्वारा किसी अन्य स्थान पर किए गए समान प्रकार के कार्य के संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि) (अनुसूची–2 क्रं 3.1.4 अनुसार)	
8	फर्म का विगत तीन वर्षों (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) का टर्नओवर (अनुसूची–2 क्रं 3.1.5 अनुसार)	
9	फर्म में दिनांक 30.09.2022 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाईजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 30.08.2022 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम ....

नोट :–

संख्यात्मक निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है ।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

M P AGRO

कार्य का स्वरूप

1- सामान्य जानकारी –

म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में इण्डो ईजराईल एग्रीकल्चर प्रोजेक्त (IIAP) के अंतर्गत सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना का उद्देश्य संरक्षित खेती व सिंचाई व अन्य आधुनिक उद्यानिकी तकनिकों का प्रर्दशन व जानकारी/ प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाना है। इस क्रम में इस स्थान पर संरक्षित खेती के अंतर्गत पौधों का उत्पादन भी किया जाना है (प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

सेंटर पर वर्तमान में अनुलगनक 2 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। निविदाकार का दायित्व है कि वह निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सेंटर का भ्रमण कर वंहा उपलब्ध सुविधाओं से अवगत हो जावे।

सेंटर पर निविदाकार को निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाने होंगें।

1. सेंटर में की वर्तमान स्थिती के आधार पर उसे पौध उत्पादन हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना
2. सेंटर में पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक कोकोपिट /खाद व अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करना
3. सेंटर में पौधों का उत्पादन
4. सेंटर में तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाब व सुरक्षा
5. सेंटर में उपलब्ध ट्रेंनिग की सुविधा का रखरखाब व सुरक्षा
6. शासन की आवश्यकता अनुसार कृषकों/ अधिकारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करना

2. कार्य का स्वरूप

2.1 सेंटर में संरक्षित खेती के अंतर्गत पौधों का उत्पादन भी किया जाना है (प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। सेंटर पर वर्तमान में अनुलगनक 2 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है।

2.2 चयनित ठेकेदार को सेंटर में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हालत में सौंपा जावेगा।

2.2 सेंटर पर निविदाकार को निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाने होंगें।

1. सेंटर में की वर्तमान स्थिती के आधार पर उसे पौध उत्पादन हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना
2. सेंटर में पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक कोकोपिट /खाद व अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करना
3. सेंटर में पौधों का उत्पादन
4. सेंटर में तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाब व सुरक्षा

निविदा के माध्यम से चयनित निविदाकार जिसे ठेकेदार कहा जावेगा द्वारा

2.3 ठेकेदार को उक्त कार्यो को हेतु स्वंय के स्तर से आवश्यक वर्कफोंस जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य तकनिकी कर्मचारी हो नियुक्त किये जाने होगें। ऐसे नियुक्त कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी कहलाऐंगें।

2.4 सेंटर में स्थापित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल एवं आवश्यक रखरखाब की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

2.5 ठेकेदार द्वारा सेंटर में उसकी क्षमता के आधार पर पौधों का उत्पादन किया जाना होगा।

2.6 ठेकेदार उत्पादित पौधों में से अधिकतम कितने पौधे उद्यान विभाग को उपलब्ध करा सकता है इसका प्रस्ताव दिया जावेगा।

2.7 पौधों की किस्त एवं प्रजाति का चयन करने का अधिकार उद्यान विभाग के पास रहेगा।

2.8 अधिकतम पौधों की संख्या का आफर को अधिकत संख्यात्मक आफर के रूप में मान्य किया जावेगा।

2.3 ठेकेदार द्वारा उद्यान विभाग को प्रदाय किये जा रहे पौधों के विरूद्ध कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगां

2.7 उत्पादित पौधों में से जिस मात्रा के पौधे उद्यान विभाग को दिये जावेगें के बाद शेष उत्पादित पौधों का विक्रय बाजार में करने हेतु ठेकेदार स्वतंत्र रहेगें।

2.8 सेंटर पर उत्पादित पौधों / सीडलिंग हेतु उद्यान विभाग/ अन्य शासकीय/ अर्द्ध शासकीय विभागों से मांग प्राप्त होने पर ठेकेदार निगम के माध्यम से ऐसी मांग की पूर्ती कर सकता है। इस दशा में पौधों की दरों के निर्धारण के संबंध में उद्यान विभाग, एमपीएग्रो की संयुक्त समिति द्वारा दरों का निर्धारण किया जावेगा। ठेकेदार को निर्धारित दर पर एमपी एग्रो के माध्यम से प्रदायगी की जाना होगी।

2.9 स्वस्थ/ गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर के पौधे तैयार किये जाने की पूर्ण जबावदारी संबंधित ठेकेदार की रहेगी। प्रदाय होने वाले पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु उद्यान विभाग अपने क्वलिटि कंट्रोल अधिकारी नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

2.10 ठेकेदार को सेंटर में तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाब व सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाना होगी। किसी भी स्तर पर हुये नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करना होगी।

2.11 तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर दो वर्ष की वारंटी अवधि में है। इस दौरान निर्माता द्वारा तैयार इंफ्रास्ट्रक्वर पर नियामानुसार सर्विस दी जावेगी। किंतु यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण यदि इंफ्रास्ट्रक्चर / सेंटर को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करना होगी।

2.12 अनुबंध अवधि में यदि ठेकेदार नवीन पद्धति का उपयोग सेंटर पर करना चाहता है तो विभागीय सहमति उपरांत वह ऐसा कर सकता है किंतु उस सुनिश्चित करना होगा की सेंटर में पूर्व में तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को काइ छति न हो। नवीन पद्धति हेतु आवश्यक मशीनरी या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु उसे अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

3. सामान्य शर्तें

3.1 अर्हता –

3.1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो सक्षम अथारिटी द्वारा पंजीकृत हो।

3.1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।

3.1.3 निविदाकर्ता के पास सेंटर की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन सुनिश्चित किये जाने हेतु दक्ष कर्मी होना चाहिए।

3.1.4 निविदाकर्ता के पास समान कार्य (ऐक्सीलेंस सेंटर के संचालन का कार्य) / समकक्ष (ग्रीन हाउस में आधुनिक तकनीक से पौधे/ सीडलिंग तैयार करने का) करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

3.1.5 निविदाकर्ता फर्म का विगत तीन वर्षों का औसत न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ होना आवश्यक है। इस हेतु चाटर्ड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र अपलोड करें।

3.1.6 निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो।

3.2 आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ती–

3.2.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु नियत तिथी से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर नियत तिथी तक कर सकते है।

3.2.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है।

3.2.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी

निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

3.2.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं व संयंत्र की भौतिक स्थितीयों से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

3.3 <u>प्री बिड मीटिंग</u>– निविदा के संबंध में दिनांक 26.09.2022 को अपरान्ह् 4.00 बजे एमपी स्टेट एग्रो इण्ड कार्पो लि मेजनाईन तल पंचानन भवन के कक्ष में आयोजित होगी । संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव नियत तिथी के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे । प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे ।

3.4 <u>संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है</u> :–

3.4.1 निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।

3.4.2 निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।

3.4.3 निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।

3.4.4 निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।

3.4.5 निविदा पत्र की शर्त क्रमांक 4.3 में वर्णित दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की **<u>संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में</u>** वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.5 <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना</u> –

3.5.1 सेंटर पर वर्तमान में अनुलगनक 2 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। निविदाकार का दायित्व है कि वह निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सेंटर का भ्रमण कर वंहा उपलब्ध सुविधाओं से अवगत हो जावे। निविदा मान्य किये जाने के उपरांत इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

3.5.2 ऑन लाईन निविदा नियत तिथी तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

3.5.3 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा संख्यात्मक आफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लेवें। mptenders की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी

नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

3.5.4 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
3. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
5. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
6. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
7. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
8. अनुसूची क्रं 4 में संख्यात्मक आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (संख्यात्मक ऑफर–अनुसूची क्रं 4 छोड़कर–संख्यात्मक ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही संख्यात्मक ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत् स्केन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

3.6 अनुसूची–5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

3.7 <u>निविदा खोला जाना</u>–

3.8 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर नियत तिथी तक निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

3.9 ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

3.10 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं

3.11 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के संख्यात्मक प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । संख्यात्मक प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

4 <u>संख्यात्मक आफर प्रस्तुत करना</u> –

4.1 इस निविदा के अंतर्गत सेंटर आफ ऐक्सीलेंस में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के विरूद्ध विभाग को अधिकतम पौधों की संख्या का आफर को अधिकत संख्यात्मक आफर के रूप में मान्य किया जावेगा।

4.2 वित्तिय रूप से किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान प्रदायक को नहीं किया जावेगा।

4.3 आफर किये गये अधिकतम पौधों की संख्या के अतिरिक्त उत्पादित सभी पौधे ठेकेदार की संपत्ती होंगें जिसे वह अन्यत्र कहीं भी किसी भी दर पर विक्रय करने हेतु स्वंतंत्र रहेगा।

4.4 आफर की गई संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष पौधे उद्यान विभाग को उपलब्ध कराये जाने होंगें।

4.5 आफर की गई मात्रा से कम मात्रा में पौधों का उत्पादन किये जाने की दशा में विभाग पौधों की दर निर्धारित करते हुये कम मात्रा में प्राप्त पौधों की राशि का निर्धारण कर ठेकेदार की जमा धरोहर राशि से कर सकता है।

5. <u>निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध</u> –

5.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त संख्यात्मक ऑफर खोले जाएंगे ।

5.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त संख्यात्मक प्रस्ताव का तुलनात्मक अध्ययन कर अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी ।

5.3 संख्यात्मक आफर में निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अधिकतम पौधों की संख्या दी जावेगी। सामन्यतः पौधें की संख्या के संबंध में कोई निगोशियेशन नहीं किया जावेगा।

5.4 यदि तकनीकी समिती / विभाग/ निगम के प्रबंध संचालक यदि प्राप्त अधिकतम आफर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिती में प्रबंध संचालक द्वारा अधिकतम दर का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार के प्रस्ताव को मान्य करने अथवा संख्या के निर्धारण के सबंध में विभागीय समिति के माध्यम से संख्या का निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र रहेगें

5.5 उक्तानुसार निर्णय के आधार पर निर्धारित संख्या की का प्रस्ताव अधिकत संख्या प्रस्तावित करने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–5 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

5.6 निविदाकार को संचालक उद्यानिकी के प्रतिनिधी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।

5.7 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्तां कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

5.8 उपरोक्त कण्डिका क्र0 5.6 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित अधिकतम संख्या का प्रति प्रस्ताव द्वितीय अधिकतम संख्या देने वाले योग्य निविदाकार को देते हुए अनुबंध कर कार्य आवंटन कर सकेंगे । द्वितीय अधिकतम संख्या देने वाले निविदाकार के सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

6. <u>अनुबंध</u> –

6.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता ठेकेदार कहलाऐंगे।

6.2 निविदाकार की संख्या स्वीकृत होने/ निर्धारित संख्या की स्थिति में **अनुसूची–5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। निविदाकार द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम निविदाकार द्वारा जमा की धरोहर

राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से निविदाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

6.3 अनुबंध दिनांक 31.3.2026 तक प्रभावशील रहेगा।

6.4 ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने की स्थिती में निगम संचालक की सहमति से अनुबंध की सीमा आगमी 3 वर्षों के लिये ओर बढ़ा सकता है।

6.5 अनुबंध होने के उपरांत पौध उत्पादन का कार्य का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

7. धरोहर राशि–

7.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

7.2 संकल्प धन राशि के अतिरिक्त ठेकेदार को सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू 10,00,000 (दस लाख) की Irrovocable bank Gurantee प्रस्तुत की जाना होगी, जो अनुबंध की समय सीमा से न्यूनतम छः माह तक प्रभाव शील हो।

7.3 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

7.4 **धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है–**

1. ठेकेदार द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
2. ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में।
3. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि में सेंटर पर स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी प्रकार की हानी पंहुचाई जाती है तो निगम के प्रबंध संचालक ऐसे नुकसान का मूल्यकंन कर निगम धरोहरा राशि / बेंक गारंटी से राशि की वसूली करने हेतु स्वंतंत्र होगें।

8. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

9. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

10. Force majour clause लागू रहेंगे जिसके निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।

11. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम सेंटर प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण संचालक उद्यानिकी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगें, आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

प्रबंधक (उद्यान)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नूराबाद जिला मुरैना में इण्डो ईजराईल एग्रीकल्चर प्रोजेक्त (IIAP) के अंर्तगत सेंटर आफ ऐक्सिलेंस फार वेजीटेवल में पौधे के उत्पादन हेतु निविदा में भाग लिये जाने के संबंध में अंडर टेकिंग

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पौध तैयार कर उपलब्ध करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से विभाग को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।
संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

QNATATIVE BID EXCLE SHEET

Annexure 4

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

QUANTATIVE BID

FOR PRODUCTION OF VEGITABLE SEEDLINGS CONTRACT BASIS

The rate is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal).

Name of the Bidder ....
Address --

Maximum Quantity Offered for VEGITABLE SEEDLINGS

Signature of the Bidder along with seal

अनुसूची–5

:: **अनुबंध** ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को संचालक उद्यानिकी द्वारा नियत जिला/ संभागीय अधिकारी जिसे आगे ''विभाग'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे '' **ठेकेदार**'' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर सेंटर आफ ऐक्सीलेंस नूराबाद में पौधों के उत्पादन का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से ठेकेदार के ऑफर को मान्य किया गया है / निगम की प्रतिप्रस्तावित दर प्रदायक द्वारा को मान्य करते हुए सेंटर आफ ऐक्सीलेंस नूराबाद में पौधों के उत्पादन का कार्य जाने हेतु अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. ठेकेदार का सहमति पत्र
3. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उद्यानिकी विभाग के अधिकृत अधिकारी	ठेकेदार
गवाह :	गवाह :
1.	1.
2.	2

.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)